राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप-6)विभाग

प0क्र0:-6(39)राज-6/85पार्ट /6 जयपुर,दिनांकः- 31/8/2010

समस्त संभागीय, आयुक्त
राज0।
समस्त जिला कलेक्टर,
राज0।

-:परिपत्रः-

राजस्थान भू-राजस्व (तालाब तले भूमियां कृषि हेतु आवंटन) नियम, 1961 के अर्न्तगत तालाब पेटा भूमि का गैर खातेदारी अधिकार पर अस्थाई रूप से आवंटन किये जाने का प्रावधान है। तद्दानुसार बांधो एवं तालाबों में कम पानी आने पर उनके भराव क्षेत्र को पेटा काश्त हेतु काश्तकारों को आवंटन कर दिया जाता है। ऐसा जानकारी में आया है कि आवंटन होने पर काश्तकार तालाब व बांध के पानी को पम्प लगाकर सिंचाई हेतु काम में लेते है जिससे बांधो का पानी जल्दी समाप्त होने से ना तो भूमिगत रिचार्ज हेतु पानी रहता है और ना ही पेयजल हेतु उपलब्ध रह पाता है।

अतः राज्य में व्याप्त जल सकंट के चलते नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराना महत्तवपूर्ण प्राथमिकता है। परिणामस्वरूप यह आवश्यक हो गया है कि भूमिगत जल की भरपाई शीघ्र हो एवं पेयजल हेतु इस पानी को काम में लेने हेतु यह आवश्यक है कि इस पानी को सुरक्षित रखा जाए। अतः उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिये यह निर्णय लिया गया है कि पेटा काश्त हेतु भूमि का आवंटन नहीं किया जाये। अतः निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान भू राजस्व (तालाब तले भूमियां कृषि हेतु आवंटन) नियम, 1961 के अर्न्तगत पेटाकाश्त हेतु भूमि का आवंटन नहीं किया जावे। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगें एंव इसकी पालना सुनिश्चित करने हेतू अविलम्ब सभी सबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करें।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपिः-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है
1. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री जी।
2. वि0 सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल ससांधन।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व।
6. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
7. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव